



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक-05.06.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 88/24 धारा 147/307/504/506/34 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.06.2024 को थाना बालैनी पर वादी रहीसूद्दीन पुत्र सहाबूद्दीन निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-शिवा पुत्र दिनेश, 2-रोहित पुत्र ओमवीर, 3-महेन्द्र पुत्र हरवीर, 4-नितिन पुत्र ब्रजपाल, 5-हर्ष पुत्र सोनी, 6-नितिन, 7-विकास पुत्रगण बबली समस्त



निवासीगण ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर लाठी-डण्डों से उसके भांजे बाबू पुत्र नासीर निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट की तथा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु०अ०सं० 88/24 धारा 147/307/504/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं०

88/24 धारा 147/307/504/506/34 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवा पुत्र दिनेश निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-है0का0 440 राशिद थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3-का0 368 पवन कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 05.06.2024

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस के चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनिश पुत्र वकील अहमद निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 82/24 धारा 452/354/506 भादवि व 3/8 पोक्सो एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 138/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राकेश शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-का0 800 घनेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 566 इन्द्राज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।



दिनांक 05.06.2024

थाना छपरौली पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-विजय पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम औढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-प्यारा पुत्र बारु निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री रविन्द्र सैनी थाना छपरौली ।
- 2-उ०नि० श्री शीलेन्द्र सिंह थाना छपरौली ।
- 3-है०का० 526 मनीष कुमार थाना छपरौली ।
- 4-है०का० 410 राजवीर सिंह थाना छपरौली ।

